न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 38/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/100

उनवान

1. उदयलाल पिता नाथु खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लेहरूलाल पिता नाथु खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1. नारायण पिता लेहरूलाल खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/2. संतोकी पुत्री लेहरूलाल खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3. प्यारा पिता लच्छु खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर मृतक के बजाय

3/1. सोनी पत्नि प्यारा खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3/2. सोसी पुत्री प्यारा खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3/3. शंकरी पुत्री प्यारा खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3/4. सायरी पुत्री प्यारा खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3/5. सावली पुत्री प्यारा खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता हीरालाल खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शिवलाल पिता हीरालाल खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कमलादेवी पुत्नि अम्बालाल खारोल निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शांताकंवर पुत्री सुखसिंह राजपुत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता विपक्षी 1 लगायत 3
3. विपक्षी संख्या 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 25/5/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 151 में अंकित साबिक आराजी संख्या 1339 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 1417 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1420 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1426 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो अन्य खातेदारान के पूर्वजो तथा नाथु, प्यारा, हीरा पिता लच्छु खारोल 1/4 हिस्सा व हीरा पिता रूपा खारोल 1/4 हिस्से से दर्ज की थी।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. इसी तरह ग्राम खेमाणा के साबिक खाता संख्या 122 में अकित साबिक आ.सं. 162 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा. आ.स. 1421 रकबा 5 बिस्वा, आ.सं. 1424 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, आ.सं. 1425 रकबा 15 बिस्वा, आ.सं. 1430 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमी नाथु प्यारा, हीरा पिता लच्छु खारोल के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी।
3. इसी तरह साबिक खाता संख्या 123 में अंकित साबिक आ.स. 1384 रकबा 16 बिस्वा आ.स. 1391 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, आ.स. 1399 रकबा 17 बिस्वा, आ.सं. 1400 रकबा 18 बिस्वा, आ.सं. 1404 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आ.सं. 1405 रकबा 2 बिस्वा आ.स. 1423 रकबा 3 बिस्वा, आ.सं. 1401 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमी नाथु, प्यारा, हीरा पिता लच्छु का 1/2 हिस्सा तथा तलोक पिता उदा का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड था।
4. इसी तरह ग्राम खेमाणा में स्थित खाता संख्या 205 में कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमी रूपा पिता तिलोक खारोल के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। प्रमाण में साबिक जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।
5. प्रार्थीगण संख्या एक व दो नाथु के वारीसान हैं तथा प्रार्थी संख्या तीन प्यारा व नाथु तथा विपक्षी संख्या एक व दो के पिता हीरा आपस में सगे भाई हैं जो लच्छु के पुत्र हैं। लच्छु के एक भाई तिलोक था जिसके एक पुत्र रूपा हुआ जो लाऔलाद था। प्रार्थीगण के पूर्वज दादा व पिता लच्छु की मृत्यु के समय हीरा की आयु केवल 3 वर्ष थी जिससे लच्छु की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थनापत्र की कलम सख्या एक में अंकित साबिक कृषि आराजियात में लच्छु के तीनो पुत्र नाथु, प्यारा, हीरा का नाम विरासत से दर्ज कर दिया गया। इसके बाद रूपा के कोई पुरुष सतान नहीं होने से हीरा के प्राकृतिक माता पिता ने हीरा को 10 वर्ष की आयु में समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार रूपा व उसकी पत्नि को गोद दे दिया जिसमें रूपा द्वारा समाज एवं गाव के लोगा को इकट्ठा कर गोद का अनुष्ठान भोज, मंगलगान करवा कर हीरा को गोद ले लिया तब से हीरा रूपा के गोद पुत्र की हैसियत से उसके साथ ही निवास करता चला आ रहा हैं तथा हीरा को पूरे गांव व समाज में रूपा के गोदपुत्र के रूप में ही जाना जाता है। रूपा की मृत्यु सन् 1972 में होने पर रूपा के नाम दर्ज समस्त कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया हैं का विरासत का नामांतरण हीरा के नाम दर्ज हो गया तथा रूपा की समस्त चल–अचल संपत्ति हीरा के नाम दर्ज हो गई परंतु लच्छु के नाम दर्ज कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में किया गया हैं में हीरा का नाम पूर्व से दर्ज चला आने से बाद में भी दर्ज चलता रहा जबकि लच्छु के नाम दर्ज भूमियों में हीरा के गोद जाने के बाद उसका कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा। हीरा का प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित लच्छु के खातेदारी की कृषि भूमियों पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में हीरा के वारीसान का कब्जा है।
6. किसी व्यक्ति के गोद चले जाने के बाद उसके प्राकृतिक माता पिता की संपत्ति में उसका कोई हक अधिकार नहीं रहता हैं तथा गोद माता पिता की संपत्ति में उसे सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हीरा को भी उसके प्राकृतिक माता पिता द्वारा 10 वर्ष की आयु में रूपा को गोद दे दिया था तथा रूपा की समस्त चल–अचल सम्पति में हीरा को सारे अधिकार प्राप्त हो गए तथा रूपा की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मृत्यु के पश्चात् प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित रूपा के हिस्से की समस्त भूमियों विरासत से हीरा के नाम दर्ज हो गई।

7. ग्राम खेमाणा में भु प्रबन्ध होने से प्रार्थीगण की साबिक कृषि आराजियात जिनका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम 1 में किया गया है के नवीन आराजी संख्या 2799, 2956, 2958, 2965 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 तथा आराजी संख्या 2900, 2909, 2910, 2911, 2930, 2931, 2932, 2935, 2936, 2961 कुल किता 10 कुल रकबा 2.93 है0 व आराजी संख्या 568, 2171, 2901, 2959, 2962, 2963, 2964, 2976 कुल किता 8 कुल रकबा 2.72 है0 कायम किए गए।
8. ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 2799, 2956, 2958, 2965 कुल किता कुल रकबा 1.92 है0 भूमि में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है तथा विपक्षीगण का 1/4 हिस्सा ही है।
9. ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 2900, 2909, 2910, 2911, 2930, 2931, 2932, 2935, 2936, 2961 कुल किता 10 कुल रकबा 2.93 है0 भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा विपक्षीगण का है।
10. ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 568, 2171, 2901, 2959, 2962, 2963, 2964, 2976 कुल किता 8 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि में केवल प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है इसमें विपक्षीगण का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है।
11. उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रूपा के नाम की आराजी संख्या 569, 2172, 2957, 2960, 2974 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 है0 भूमियां सम्पूर्ण विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु राजस्व रेकार्ड में हीरा गोद पिता रूपा का नाम लच्छु की भूमि में दर्ज रह जाने से हीरा की मृत्यु के पश्चात हीरा के वारीसान की नियत में फितुर आ जाने, विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों को हड़पने के लिए प्रार्थीगण के विरूद्व बंटवारे के वाद पेश कर दिए है, तथा कुछ भूमियों को विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर दिया जबकि मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा है तथा विपक्षीगण उक्त भूमियों के वाद विचाराधीन होने के बावजूद खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा सम्पूर्ण भूमियों को विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल कर उनके जायज हक से महरूम करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना न्यायोचित है।
12. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जाए कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2799, 2956, 2958, 2965 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 2900, 2909, 2910, 2911, 2930, 2931, 2932, 2935, 2936, 2961 कुल किता 10 कुल रकबा 2.93 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 568, 2171, 2901, 2959, 2962, 2963, 2964, 2976 कुल किता 8 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा विपक्षीगण उक्त भूमियों को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे एंव प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे तथा राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमियों को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस

कर प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल कर देवे तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवा कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जाए।

13. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद मन्सूरी उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 23.04.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
14. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दोनों पक्ष सहमत है।
15. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमति प्रकट की गई है एवं मूलवाद निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है। वादग्रस्त आराजियात को उभयपक्ष द्वारा रहन, बय, बक्षीस कर दिया जाए एवं मौके तथा रेकॉर्ड की स्थिति में परिर्वतन कर दिया जाए तो खातेदारों को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं मौके पर परिवर्तन होने पर प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2799, 2956, 2958, 2965 कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 2900, 2909, 2910, 2911, 2930, 2931, 2932, 2935, 2936, 2961 कुल किता 10 कुल रकबा 2.93 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 568, 2171, 2901, 2959, 2962, 2963, 2964, 2976 कुल किता 8 कुल रकबा 2.72 है0 भूमि में उभयपक्ष एक दूसरे के कब्जे काश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा उभयपक्ष को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा उभयपक्ष उक्त भूमियों को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे एंव उभयपक्ष एक दूसरे को बेदखल नहीं करें इस प्रकरण संख्या 38/2023 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा